(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2803/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 299/अपील/2014-15.

---

1. विष्णु पिता अम्बाराम जाट
2. श्यामलाल पिता अम्बाराम जाट

निवासीगण ग्राम माचकदा,
तहसील धार, जिला धार, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

वीरूमल दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाट
प्राकृतिक पुत्र अम्बाराम जाट
निवासी ग्राम सादलपुर,
तहसील व जिला धार, म.प्र.

.....आवेदक

श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 22.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील धार के समक्ष संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की माता लक्ष्मीबाई पति अम्बाराम जाट, निवासी माचकदा के नाम से राजस्व अभिलेख में सर्वे क्रमांक 156/1 रकबा 0.440 हैक्टेयर भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है।

अनावेदक की माता लक्ष्मीबाई की मृत्यु दिनांक 16.06.2010 को हो गई है, जिनके वारिस अनावेदक तथा आवेदकगण हैं। अत: प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में उभयपक्ष के नाम अंकित किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 77/अ-6/2009-10 दर्ज कर दिनांक 06.05.2013 को आदेश पारित किया गया तथा आवेदकगण तथा अनावेदक का नाम संयुक्त रूप से प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व धार के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.03.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश स्थिर रखे गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण तथा अनावेदक सहोदर भाई है, अनावेदक को रामचन्द्र जाट द्वारा गोद लिया गया था। अपने प्राकृतिक परिवार से गोद जाने के बाद अनावेदक का आवेदकगण के परिवार से कोई संबंध नहीं रहा।

(2) अनावेदक को रामचन्द्र जाट ने गोद लिया था। अत: रामचन्द्र जाट की मृत्यु के पश्चात् अनावेदक का नामांतरण रामचन्द्र के स्वत्व की भूमि पर रामचन्द्र के पुत्र के रूप में हो गया था, जिसके प्रमाण के स्वरूप ग्राम सादलपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 225/1/1 आदि की खसरा प्रविष्टियां प्रस्तुत की जा रही हैं।

(3) विधानसभा क्षेत्र बदनावर के ग्राम सादलपुर की निर्वाचक नामावली वर्ष 2013 में प्रविष्टि क्रमांक 1051 पर अनावेदक वीरूमल का नाम रामचन्द्र के पुत्र के रूप में प्रविष्ट है। अनावेदक का वोटर कार्ड क्रमांक बी.एच.जी. 5340781 है। निर्वाचक नामावली की प्रति भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

(4) आवेदकगण के पिता अम्बाराम की मृत्यु होने पर अनावेदक ने अम्बाराम को पक्षकार बनाकर अम्बाराम के स्थान पर नामांतरण का आवेदन दिया, जिसे मात्र परिवार के सजरे के

आधार पर तहसीलदार ने स्वीकार किया था, ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

(5) आवेदकों ने लेखी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया है कि अनावेदक को रामचन्द्र जाट ने गोद लिया था, रामचन्द्र की मृत्यु के बाद अनावेदक का नामांतरण रामचन्द्र के पुत्र के रूप ग्राम सादलपुर की भूमि पर हुआ था। निर्वाचक नामावली में भी अनावेदक के पिता का नाम रामचन्द्र ही अंकित है।

(6) आवेदकों ने प्रथम द्वारा द्वितीय अपील में जो आधार लिये हैं, उन पर दोनों अपीलीय न्यायालयों ने लेशमात्र भी विचार नहीं किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अभिलेख के विपरीत तथा मनमाने आदेश की परिभाषा में आते हैं।

(7) अपने प्राकृतिक परिवार से रामचन्द्र के पुत्र के रूप में गोद जाने के पश्चात् अनावेदक का अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई स्वत्व अथवा अधिकार नहीं रह जाता है। इस वैधानिक स्थिति को अनदेखा कर पारित किये गये विवादित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्प्ष्ट होता है कि तहसील न्यायालय में मात्र आवेदक के आवेदन के आधार पर माता लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर तीन भाईयों का नाम चढ़ा, दो भाईयों को ना तो सुना गया और ना ही उनको कोई हिस्सा दिया गया। आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिससे अनावेदक वीरूमल के गोद जाने की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अत: प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य लेकर पुन: आदेश करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, तहसील धार की ओर प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2018, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 36.03.2015 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 निरस्त किये जाते हैं। निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार, तहसील धार की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर